उदयपुरवाटी के रिपोर्ट ली गई। प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.1.18 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1626 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के भूमि ख.नं. 1628 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे-2 कलेमशुदा रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थी क्रं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1628 में कलेमशुदा रास्ते की लम्बाई 63 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है अर्थात कुल क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर होता है। कलेमशुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता ख.नं. 1626 में आने जाने हेतु मौके पर नहीं है।

प्रकरण में उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 31.1.2018 पर स्वयं प्रार्थी बजरंगलाल ने एतराज किया है। प्रस्तुत एतराज प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। धारा 251(क) के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार को उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 31.1.18 में अंकित नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता निकटतम रास्ता है। इसलिए प्रस्तुत प्रा.पत्र एतराज का कोई औचित्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।

उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रा.पत्र अ. धारा 251(क) रा.का.अ. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अ.धारा 251(क) रा.का.अ. का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मोड़की की सरहद में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1626 में आने जाने हेतु अप्रार्थी क्रं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1628 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 63 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा (कुल क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर) रास्ता कायम किया जाता है। रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी को भूमि देंगे। तदुपरान्त तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित करें तथा नक्शाट्रेस में तरमीम करें। रास्ते में आवागमन चालू करावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी